समक्ष विनय मित्तल , न्यायमूर्ति

हरि सिंह - वादी/अपीलकर्ता

बनाम

गुरचरण सिंह और अन्य, - प्रतिवादी

1996 का आर.एस.ए. नं. 1822

15 मई, 2003

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - पुत्र के पक्ष में कल्लूसिव डिक्री - पिता की मृत्यु के बाद दूसरा पुत्र वाद संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करता है, वाद संपत्ति की पैतृक प्रकृति वादी द्वारा सिद्ध नहीं की गई है- कि पिता पूर्ण मालिक होने के नाते वादी डिक्री के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता है- डिक्री पंजीकरण न होना अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है |

अभिनिर्धारित किया गया , एक बार जब यह माना जाता है कि विवाद में संपत्ति इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं थी, तो जाहिर तौर पर वर्तमान वादी हरि सिंह का दावा जो इंदर सिंह का बेटा है और केवल संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करता है, पैतृक प्रकृति के होने के आधार पर गिर जाता है। यदि संपत्ति को इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं दिखाया गया था, तो जाहिर है कि हरि सिंह उनके बेटे होने के नाते संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रख सकते थे और अपने जीवनकाल के दौरान इंदर सिंह द्वारा झेली गई डिक्री के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकते थे।

आगे कहा गया कि जब विवाद में संपत्ति इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं दिखाई गई थी, तो इंदर सिंह के अलावा किसी और को उक्त फैसले और डिक्री के ख़िलाफ़ शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। इंदर सिंह खुद अपने जीवनकाल के दौरान धोखाधड़ी के आधार पर डिक्री को चुनौती दे सकते थे। उनके द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। इस प्रकार, इंदर सिंह की मृत्यु के बाद वर्तमान वादी द्वारा की गई शिकायत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और वास्तव में ऐसी कोई शिकायत करने के किसी भी अधिकार के बिना प्रतीत होती है।

प्रीतम सैनी, अपीलकर्ता के वकील।

भाग सिंह, प्रतिवादियों के वकील।

निर्णय

विनय मित्तल, न्यायमूर्ति

(1) हरि सिंह वादी-अपीलकर्ता ने नीचे दी गई दो अदालतों में समवर्ती रूप से असफल रहने के बाद वर्तमान नियमित दूसरी अपील दायर की है |

(2) वादी-अपीलकर्ता द्वारा इस आशय का मुकदमा दायर किया गया था कि जगजीत सिंह और अन्य बनाम इंदर सिंह के मुकदमे में 4 फरवरी, 1987 का निर्णय और डिक्री अमान्य, अप्रभावी और उनके अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं थी। वादी ने दावा किया कि इंदर सिंह के दो बेटे हरि सिंह और गुरचरण सिंह हैं। जमीन का विवाद इंद्र सिंह के हाथों में था। वादी द्वारा आगे दावा किया गया है कि पार्टियां प्रथागत कानून द्वारा शासित थीं, जिसमें पैतृक संपत्ति को धारक द्वारा अलग नहीं किया जा सकता था और इसलिए, जगजीत सिंह और करनैल सिंह के पक्ष में 4 फरवरी, 1987 को इंदर सिंह द्वारा सामना किया गया आदेश अमान्य, अवैध और उनके अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं था।

(3) वादी के अनुसार, उक्त भूमि को इंदर सिंह द्वारा कानूनी आवश्यकता के अलावा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

(4) प्रतिवादियों ने पेश होकर वादी के दावे को चुनौती देते हुए एक लिखित बयान दायर किया। उन्होंने 4 फरवरी, 1987 के आदेश को कानूनी और वैध मानते हुए इसका समर्थन किया। उनके द्वारा विशेष रूप से यह दलील दी गई थी कि बचाव कर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा इंदर सिंह के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी और इसलिए, उक्त डिक्री को स्वेच्छा से भुगतना पड़ा था जो पूरी तरह से कानूनी और वैध था और पार्टियों के लिए बाध्यकारी था। प्रतिवादियों ने विवाद में भूमि के पैतृक होने के तथ्य से इनकार किया।

(5) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया और यह माना गया कि उपरोक्त डिक्री कानूनी और बाध्यकारी थी। इस मामले को वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में लिया गया था। विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, प्रथम अपीलीय अदालत ने यह भी माना कि विचाराधीन संपत्ति को इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं दिखाया गया था। उस आधार पर, वादी द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

(6) वादी ने अब वर्तमान नियमित दूसरी अपील के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।.

(7) मैंने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रीतम सैनी और प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री भाग सिंह को सुना है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

(8) अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील श्री प्रीतम सैनी ने प्रस्तुत किया है कि वास्तव में प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि संपत्ति पैतृक नहीं थी, गलत और रिकॉर्ड के विपरीत था। विद्वान वकील के अनुसार, संपत्ति इंदर सिंह के हाथों में पैतृक दिखाई गई थी।.

(9) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई उक्त दलील पर विचार करने के बाद। मैं पाता हूं कि उक्त निवेदन बिना किसी आधार के है। वास्तव में, प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा यह विशेष रूप से माना गया है कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि इंदर सिंह के हाथों में मुकदमा संपत्ति उन्हें अपने दादा से विरासत में मिली थी। उस आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही कहा है कि मुकदमा संपत्ति की पैतृक प्रकृति साबित नहीं हुई थी। वर्तमान अपील के दौरान भी रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज उक्त निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत था। इस प्रकार, मैं प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्षों की पुष्टि करता हूं कि इंदर सिंह के हाथों में मुकदमा संपत्ति प्रकृति में पैतृक नहीं थी।

(10) एक बार जब यह मान लिया जाता है कि विवादित संपत्ति इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं थी, तो जाहिर तौर पर वर्तमान वादी हरि सिंह का दावा जो इंद्र सिंह का बेटा है और केवल पैतृक प्रकृति के होने के आधार पर संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करता है। यदि संपत्ति को इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं दिखाया गया था, तो जाहिर है कि हरि सिंह को उनके बेटे होने के नाते संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी और वह अपने जीवनकाल के दौरान इंदर सिंह द्वारा झेले गए फरमान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। यहां यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान मुकदमे में लगाए गए फैसले और डिक्री को इंदर सिंह को 4 फरवरी, 1987 को भुगतना पड़ा था। उक्त इंदर सिंह का निधन 14 अगस्त, 1988 को हुआ था। अपने जीवनकाल के दौरान, इंदर सिंह द्वारा उपरोक्त डिक्री के खिलाफ कभी कोई शिकायत या शिकायत नहीं की गई थी और न ही यह थी।कभी उसके द्वारा चुनौती दी गई। इन परिस्थितियों में, यह दलील कि उक्त डिक्री इंदर सिंह को उस पर खेली गई धोखाधड़ी के कारण भुगतनी पड़ी थी, टिकाऊ नहीं है। यदि उपरोक्त डिक्री इंदर सिंह पर कोई धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई होती, तो इंदर सिंह ने स्वाभाविक रूप से अपने जीवनकाल के दौरान उक्त डिक्री को चुनौती दी होती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद हरि सिंह को उस आधार पर कोई शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है।

(11) इस कठिनाई का सामना करते हुए अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रीतम सैनी ने प्रस्तुत किया है कि 4 फरवरी, 1987 के उक्त डिक्री को इंदर सिंह द्वारा सहमति के माध्यम से सहन किया गया था और चूंकि जगजीत सिंह और करनैल सिंह, जो पहले के मुकदमे में वादी थे, को कोई पूर्ववर्ती शीर्षक या पहले से

मौजूद अधिकार नहीं दिखाया गया था। तब उक्त डिक्री इस तथ्य के कारण उन्हें कोई अधिकार, शीर्षक .या ब्याज प्रदान नहीं कर सकती थी कि वह पंजीकृत नहीं था। इस दलील के लिए, विद्वान वकील ने .भूप सिंह बनाम राम सिंह मेजर और अन्य (1) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और बलबीर सिंह वर्सु बलवंत सिंह (2) के मामले में इस अदालत के एकल न्यायाधीश के फैसले पर जोरदार भरोसा किया है।

(12) दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री भाग सिंह ने अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए कानून के प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रतिवादियों के वकील के अनुसार, विवाद में संपत्ति इंदर सिंह के हाथों में पैतृक संपत्ति नहीं थी। उस आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि इंदर सिंह संपत्ति के पूर्ण मालिक थे और उन्होंने स्वतंत्र सहमति के माध्यम से डिक्री का सामना किया था, इसलिए, इस संबंध में किसी और द्वारा शिकायत करने का सवाल ही नहीं उठता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में, वादी हरि सिंह को डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।

(13) मैंने संबंधित पक्षों की ओर से की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है।.

(14) यह स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों के आधार पर और फैसले के पहले भाग में मेरे द्वारा पुष्टि की गई थी, विवाद में संपत्ति को इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं दिखाया गया था। जब संपत्ति

विवाद में इंदर सिंह के हाथों में पैतृक नहीं दिखाया गया था, तो इंदर सिंह के अलावा किसी और को उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता था। इंदर सिंह खुद अपने जीवनकाल के दौरान धोखाधड़ी के आधार पर डिक्री को चुनौती दे सकते थे। उनके द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। इस प्रकार, इंदर सिंह की मृत्यु के बाद वर्तमान-वादी द्वारा की गई शिकायत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और वास्तव में ऐसी कोई शिकायत करने के किसी भी अधिकार के बिना प्रतीत होती है।

(15) साहू माधो दास बनाम मुकंद राम (3) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की।—

> " इस तर्क के समर्थन में निम्नलिखित पर रिलायंस रखा गया है कि भाइयों, जिनके पास दूसरे के पैसे से खरीदी गई संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, कानूनी रूप से पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते थे।
>
> यह अच्छी तरह से तय है कि एक समझौता या पारिवारिक व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि पार्टियों में किसी प्रकार का पूर्ववर्ती शीर्षक है और वह समझौता स्वीकार करता है और परिभाषित करता है कि वह शीर्षक क्या है, प्रत्येक पक्ष अपने हिस्से में आने वाली संपत्ति के अलावा अन्य सभी दावों को छोड़ देता है और दूसरों के अधिकार को मान्यता देता है, जैसा कि उन्होंने पहले क्रमशः उन्हें आवंटित भागों पर जोर दिया था।
>
> XXXXXXXXXXX
>
> इन टिप्पणियों का मतलब यह नहीं है कि पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों में कुछ शीर्षक एक तथ्य के रूप में मौजूद होना चाहिए। उनका सीधा सा मतलब है कि यह माना जाना चाहिए कि व्यवस्था के पक्षकारों के पास किसी प्रकार का पूर्ववर्ती शीर्षक था और यह कि समझौता उस शीर्षक को प्राप्त करता है और परिभाषित करता है।

(16) राम चरण दास बनाम गिरि नंदिनी देवी (4) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:—

> "अदालतें व्यापक और सामान्य आधार पर एक पारिवारिक समझौते को प्रभावी बनाती हैं कि इसका उद्देश्य मौजूदा या मौजूदा निपटान करना है एक परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बारे में भविष्य के विवाद। इस संदर्भ में परिवार शब्द को उन

व्यक्तियों के समूह के रूप में संकीर्ण अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए, जिन्हें कानून उत्तराधिकार के अधिकार या विवादित संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के रूप में मान्यता देता है। पारिवारिक समझौते के लिए विचार यह अपेक्षा है कि इस तरह के समझौते के परिणामस्वरूप संबंधों के बीच मित्रता और सद्भावना स्थापित होगी या सुनिश्चित होगी। प्रत्येक विवाद कर्ता द्वारा पारित इस समझौते में एक-दूसरे द्वारा दावा किए गए अधिकार के उल्लंघन के बाद उस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है।

उपरोक्त राम चरण मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि निम्नलिखित है।—

पीठ ने कहा, "आपस में विवाद को समाप्त करने के लिए परिवार के सदस्य रहे पक्षों द्वारा किया गया पारिवारिक समझौता स्थानांतरण नहीं है। यह किसी हित का सृजन भी नहीं है। क्योंकि एक पारिवारिक समझौते में प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र शीर्षक के आधार पर संपत्ति में हिस्सा लेता है जिसे अन्य पक्षों द्वारा उस हद तक स्वीकार किया जाता है। इसके तहत लाभ लेने वाले प्रत्येक पक्ष को कानून के तहत, संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह आईएस को दिखाने के लिए आवश्यक है कि पार्टियां किसी तरह से एक-दूसरे से संबंधित हैं और संपत्ति या दावे पर संभावित दावा है या यहां तक कि किसी अन्य आधार पर दावे की झलक भी है। कहो, स्नेह।

(17) काले बनाम समेकन के उप निदेशक (5) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की। —

"जो सदस्य पारिवारिक व्यवस्था के पक्षकार हो सकते हैं, उनके पास संपत्ति में कुछ पूर्ववर्ती शीर्षक, दावा या हित होना चाहिए, यहां तक कि संपत्ति में एक संभावित दावा भी होना चाहिए जिसे निपटान के पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भले ही समझौते के एक पक्ष के पास कोई शीर्षक न हो, लेकिन व्यवस्था के तहत दूसरा पक्ष अपने सभी दावों को त्याग देता है।

या ऐसे व्यक्ति के पक्ष में शीर्षक और उसे एकमात्र मालिक के रूप में स्वीकार करता है, तो पूर्ववर्ती शीर्षक माना जाना चाहिए और पारिवारिक व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा और अदालतों को इसे सहमति देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।,

यह आगे पूर्वोक्त काले के मामले (सुप्रा) में निम्नानुसार देखा गया था।

"भले ही वास्तविक विवाद, वर्तमान या संभावित जिसमें कानूनी दावे शामिल नहीं हो सकते हैं, एक वास्तविक पारिवारिक व्यवस्था द्वारा निपटाए जाते हैं जो उचित और न्यायसंगत है, पारिवारिक व्यवस्था अंतिम है और निपटान के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है।

(18) जगदीश और अन्य बनाम राम करण और अन्य (6) के मामले में मुझे इसी तरह के विवाद से निपटने का अवसर मिला था और राम चरण दास (सुप्रा), काले (सुप्रा) और साहू माधो (सुप्रा) के मामलों में निर्धारित कानून के अनुसार, पारिवारिक समझौते पर पारित डिक्री को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि गुरदेव सिंह और अन्य बनाम करतार सिंह और अन्य (7) के मामले में भी इस अदालत ने कहा था कि पहले से मौजूद अधिकार एक मौखिक व्यवस्था के तहत बड़े परिवार के सदस्य के दावे को भी कवर कर सकता है, जिसकी बाद में अदालत की कार्यवाही में पुष्टि की जाती है।

(19) भूप सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस डिक्री पर विचार कर रहा था जिसके तहत मुकदमा संपत्ति में शीर्षक को व्यक्त करने और डिक्री के माध्यम से किसी भी पूर्व-मौजूदा शीर्षक के बिना किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करने की मांग की गई थी। वास्तव में भूप सिंह के मामले (सुप्रा) में चुनौती के तहत डिक्री को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

.

"यह आदेश दिया जाता है कि वाद के शीर्षक में पूरी तरह से विस्तृत मुकदमे में संपत्ति के संबंध में एक घोषणात्मक डिक्री इस आशय से है कि वादी अपनी मृत्यु के बाद प्रतिवादी के बदले आज से कब्जे में मालिक होगा और वादी राजस्व पत्रों में अपने नाम को शामिल करने का हकदार है |

प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान के मद्देनजर वादी के दावे को सही मानते हुए वादी के पक्ष में दिया जाता है |वकील की फीस 16 रुपये तय की गई। यह भी आदेश दिया जाता है कि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है |"(जोर दिया गया)।

(20) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूप सिंह के मामले (सुप्रा) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब सहमति डिक्री के माध्यम से वाहन या हस्तांतरण किया जा रहा था, तो इसकी अनुमति नहीं थी और ऐसी स्थिति में ऐसी सहमति डिक्री अनिवार्य रूप से पंजीकृत थी। हालांकि, यदि मुकदमे में एक वाद पिछले लेनदेन या पिछले पारिवारिक समझौते के आधार पर एक घोषणा के माध्यम से मान्यता के लिए दायर किया गया था, तो मांगी गई घोषणा केवल मुकदमा दायर करने की तारीख पर मौजूदा तथ्यों के संबंध में थी।.

(21) भूप सिंह के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टेक बहादुर बनाम देबी सिंह (8) में निर्धारित कानून पर ध्यान दिया था और निम्नानुसार टिप्पणी की थी।__

"14. टेक बहादुर बनाम देवी सिंह, एआईआर 1966 एससी 292 मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पारिवारिक व्यवस्था की वैधता पर विचार किया और सवाल यह था कि क्या इसे धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने मौखिक परिवार व्यवस्था को कायम रखते हुए कहा कि पंजीकरण केवल तभी आवश्यक होगा जब परिवार की व्यवस्था की शर्तों को लिखित में कम कर दिया जाए। दस्तावेज़ के तहत किए गए पारिवारिक व्यवस्था के नियमों और पाठ वाले दस्तावेज़ और पारिवारिक व्यवस्था के बाद तैयार किए गए केवल ज्ञापन के बीच अंतर किया जाना चाहिए या तो रिकॉर्ड की शुद्धता के लिए या आवश्यक उत्परिवर्तन करने के लिए न्यायालय की जानकारी के लिए पहले से ही तैयार किया गया है। ऐसे मामले में ज्ञापन स्वयं अचल संपत्तियों में किसी भी अधिकार का निर्माण या बुझान नहीं करता है और इसलिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 ('2) की शरारत के अंतर्गत नहीं आता है। यह माना गया था कि पहले किए गए परिवार की व्यवस्था का एक ज्ञापन जो इसकी जानकारी के लिए अदालत में दायर किया गया था, अनिवार्य रूप से आयोजित नहीं किया गया था।

पंजीकरण योग्य और इसलिए इसका उपयोग संपार्श्विक उद्देश्य के लिए साक्ष्य में किया जा सकता है, अर्थात्, पारिवारिक व्यवस्था के प्रमाण के लिए जो अंतिम था और पार्टियों को बांधता है। **मटूरी पुलैया बनाम मटूरी नरशिमहम**, एआईआर 1966 एससी 1836 में भी यही विचार दोहराया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि परिवार के सदस्य को पंजीकरण की आवश्यकता तभी होगी जब वह वर्तमान समय में अचल संपत्ति में उल्लिखित पक्षों के पक्ष में कोई रुचि पैदा करता है। ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई हित नहीं बनाया गया है, दस्तावेज गैर-पंजीकृत होने के बावजूद मान्य होगा और अधिनियम की धारा 17 द्वारा प्रभावित नहीं होगा।."

(22) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भूप सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल एक ऐसी स्थिति से निपट रहा था जहां शीर्षक को सहमति निर्णय और डिक्री के माध्यम से पहली बार व्यक्त किया जा रहा था और स्थानांतरित किया जा रहा था, न कि एक ऐसा मामला जहां उक्त डिक्री पिछले लेनदेन पर आधारित थी।

(23) राम चरण दास के मामले (सुप्रा), काले के मामले (सुप्रा) और माधो दास के मामले (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, बलबीर सिंह (सुप्रा) के मामले में अपीलकर्ता द्वारा रखी गई निर्भरता पूरी तरह से बिना किसी आधार के है।.

(24) इस मामले का एक और पहलू है जिस पर इस स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि बचन सिंह बनाम करतार सिंह और अन्य (9) (सुप्रीम कोर्ट) में कहा गया है। बचन सिंह के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि प्रतिवादी के दावे को वादी द्वारा स्वीकार किया गया था और उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर, एक डिक्री पारित की गई थी और यदि डिक्री पारित करने में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी, तो उक्त डिक्री अच्छी और वैध थी और इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि वह पंजीकृत नहीं था।.

('25) उपरोक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि वादी-अपीलकर्ता हरि सिंह द्वारा 4 फरवरी, 1987 के फैसले और डिक्री को चुनौती देने वाला दावा किसी भी तरह से उचित था।

(26) तदनुसार, वर्तमान अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा